बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 78/12–13

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार भोजपुर

(ख) अंकेक्षण का अवधि – 2008–09 से 2010–11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग , बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

प्रधान सचिव मानव संसाधन (विकास) विभाग, बिहार, पटना।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एंव कर्मचारियों का नाम/पदनाम एंव कार्यकाल –

1. श्री राम बाबु प्रसाद नरेन्द्र सदस्य 3.11.08 से 31.3.11 तक
2. यायावरस्मिथ सहायक (कार्यालय सचिव) 7.1.09 से 7.7.09 तक
3. नन्द कुमार झा सहायक (कार्यालय सचिव) 8.1.09 से 31.3.11 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 का नाम , पदनाम –

1. श्री रामाकान्त शर्मा, सहायक

(छ) अंकेक्षको के नाम – 1. श्री सियाराम सिंह , व0 अं0– 2

2. श्री रविन्द्र कुमार ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 12.6.12

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 14.7.12

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 14 $\frac{2}{2}$ कार्यदिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य ।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15.09.60 के निदेशानुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या 3153 दिनांक 25.8.08 के द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभिक (प्राथमिक एंव मध्य विद्यालय) माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन से संबंधित अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार का गठन का प्रावधान किया गया।

प्राधिकार का कार्य (1) पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक/जिला परिषद एंव नगर निकाय माध्यमिक शिक्षक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एंव नगर निकाय माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के नियोजन से संबंधित अपील की सुनवाई कर निर्णय लेना।

(2) सामान्य 30 दिनों के अन्दर अपील पर निर्णय लेना विशेष मामलों में अधिकतम 90 दिनों में निर्णय लेना।

(3) पूर्व के अपीलीय प्राधिकार/शिकायत प्राधिकार द्वारा स्थानान्तरित मामले पर 60 दिनों के अन्दर निर्णय लेना है।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – अनुदान

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति : – वर्ष 08–09 एंव 09–10 में प्राधिकार को ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान राशि प्राप्त करायी गयी थी। वर्ष 10–11 में जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को अनुदान से संबंधित आवंटन प्राप्त करायी गयी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवंटन को कोषगार से निकासी कर प्राधिकार के खाते में जमा की गई, जिसका कोषागार सत्यापन किया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– शून्य।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– यह प्रथम अंकेक्षण था।

(3) वित्तीय समीक्षा :– 1 इस कार्यालय को शीर्ष 2202 के तहत अनुदान के रूप में प्राधिकार के सदस्यों का वेतन, सदस्यों का भत्ता, कम्प्यूटर अपरेटर का मानदेय, कम्प्यूटर क्रय एंव रख रखाव मद, कार्यालय भाड़ा, आकस्मिकता मद, उपस्कर एंव कार्यालय सामग्री में होने वाले व्यय को वर्ष 08–09 एवं 09–10 में निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) द्वारा ड्राफ्ट के माध्यम से, एवं वर्ष 10–11 में जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर द्वारा प्राप्त आवंटन को कोषागार से निकासी कर प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी। प्राधिकार द्वारा ड्राफ्ट को बैंक ऑफ इन्डिया आरा शाखा के चालू खाता सं0 460421110000003 में जमा किया गया था। तत्पश्चात् चेक के माध्यम से राशि की निकासी कर व्यय को गयी थी। जिसका संचालन प्राधिकार के सदस्य एवं कार्यालय सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। आय– व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है।

2 प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था :– उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग की गई थी, जिसे कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया।

3 रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– भौतिक सत्यापन नही कराया गया।

4 रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– अप्राप्त।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

वर्ष 08–09 से 10–11 तक

स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
सदस्य – 2	2	–
कार्यालय सचिव – 1	1	–
कम्प्यूटर ऑपरेटर – 2	2	–
पदचर – 2	2	–

<u>भाग– 2</u>

कंडिका 5 – वेतन मद में रू0 99033 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

(क) वेतन मद में अधिक भुगतान राशि रू0 70072.00 वसूली योग्य :–

विभागीय संकल्प संख्या –3153 दिनांक 25.8.08 की कंडिका 6 में प्राधिकार के सदस्य का वेतन निर्धारण में यह प्रावधान किया गया है कि सेवा निवृत सदस्य को उनकी सेवा निवृत्ति के समय अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि की कटौति पश्चात् शेष राशि ही प्राप्त करनी है। पुनः मानव संसाधन (विकास) विभाग के ज्ञापांक 7/वि0 1–13/09–1391 दिनांक 24.8.09 के द्वारा वित्त विभाग से ली गई परामर्शानुसार सेवा निवृत्ति के समय का अंतिम वेतन (मूल वेतन + 50 प्रतिशत महगाई वेतन) (–) पेंशन की राशि (मंहगाई भत्ता रहित) के अनुसार सदस्य को वेतन निर्धारण करना है। वेतन भुगतान के जाँच में पाया गया

कि श्री आर0 बी0 पी0 नरेन्द्र माननीय सदस्य द्वारा अपना वेतन दिनांक 10.9.11 को निम्न प्रकार निर्धारित किया पाया गया तद्नुसार अक्टूबर 09 से ही निर्धारित दर से प्रतिमाह वेतन प्राप्त किया गया।

अंतिम – मूल वेतन – 13125.00

50 प्रतिशत महगाई वेतन– + 6562.00

योग– 19687.00

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये

गये दिनांक 1.5.2000 का पेंशन

भुगतान आदेश के अनुसार – मूल पेंशन (–) 6507.00

13180.00

श्री नरेन्द्र सदस्य द्वारा नवम्बर 08 से मार्च 10 तक निम्न प्रकार वेतन प्राप्त की गई थी।

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	वेतन माह	भुगतान तिथि	चेक सं0	भुगतीत राशि	भुगतान योग्य राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
1	श्री आर0 बी0 पी0 नरेन्द्र सदस्य	नवम्बर 08 से फरवरी 09 तक	7.4.09	0118706	35000	@ 13180 प्रति माह x 17 माह	
2	ʻʻ	मार्च 09 से मई 09	2.6.09	709	21000		
3	ʻʻ	जून 09 से सितम्बर 09	22.9.09	715	79292		
4	ʻʻ	बकाया वेतन नवम्बर 08 से	28.10.09	717	44500		

		मई 09					
5	''	बकाया वेतन नवम्बर 08 से मई 09	17.12.09	720	45260		
6	''	अक्टूबर 09 से जनवरी 10	1.2.10	726	52720		
7	''	फरवरी 10 से मार्च 10	9.4.10	733	16360		
					294132	224060	70072.00

श्री नरेन्द्र सदस्य को रू0 13180 प्रति माह की दर से 17 माह का वेतन के रूप में 224060 रू0 प्राप्त करना था, जिसके विरूद्ध वेतन रू0 294132 प्राप्त किया गया। इस प्रकार (294132–224060) = रू0 70072 वेतन अधिक प्राप्त किया गया जो वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति द्वारा सदस्य के सेवा निवृत्ति समय प्राप्त किये गये अंतिम वेतन तथा पी0 पी0 ओ0 की माँग की गई थी जिससे प्राप्त किये जा रहे वेतन को सत्यापित की जा सके परन्तु कोई भी साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नही कराया गया न आपत्ति का अनुपालन कर लौटाया गया।

(ख) वेतन मद में अधिक भुगतान राशि रू0 28961.00 वसूली योग्य :–

श्री दयानन्दन प्रसाद, माननीय सदस्य के वेतन भुगतान की जाँच में पाया गया कि उनके सेवा निवृत्ति के समय अन्तिम वेतन के रूप में रू0 48880.00 प्राप्त किया जा रहा था। महालेखाकार द्वारा निर्गत पेंशन आदेश दि0 18.2.10 में भी पेंशन की राशि 24440 अंकित था। परन्तु श्री प्रसाद द्वारा वेतन के रूप में प्रति माह रू0 32714 की दर से माह 15. 12.09 से मार्च 10 तक कुल रू0 114501 प्राप्त किया गया था। जबकि उन्हे सकल्प के अनुसार अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि कटौति कर शेष राशि ही वेतन के रूप में प्राप्त करनी थी, अर्थात् (अंतिम वेतन रू0 48880–पेंशन 24440) = 24440 प्रतिमाह की दर से 15. 12.09 से मार्च 10 तक रू0 85540 वेतन के रूप में प्राप्त करना था। विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	वेतन माह	भुगतान तिथि	चेक संख्या	भुगतीत राशि	भुगतान योग्य राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
1	श्री दयानन्दन प्रसाद सदस्य	15.12.09 से मार्च 10 तक	9.4.10	0118731	114501	85540	28961.00

इस प्रकार (114501–85540) = रू0 28961 म0 वेतन मद में अधिक भुगतान प्राप्त किया गया, जो वसूली योग्य है। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत की गई थी, जिसका अनुपालन कर नही लौटाया गया।

अतः प्रशासी विभाग उप कंडिका क, ख में उल्लिखित राशि रू0 क्रमशः 70072+28961 =99033 को संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका –(6) अनधिकृत रूप से कम्प्यूटर अपरेटर की नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप रू0 11767 का भुगतान वसूली योग्य :–

मनव संसाधन (विकास) विभाग, बिहार पटना के संकल्प सं0– 3153 दि0 25.8.08 के कंडिका 5 में निहित निदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यालय से कम्प्यूटर अपरेटर की प्रतिनियुक्ति करनी 'A' उपलब्ध नही हो पाने की स्थिति में बेलट्रॉन/एन0 आई0 सी0 से संविदा के आधार 11 माह के लिए नियोजन करना या परन्तु जाँच में पाया गया कि न तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अर्हता प्राप्त कम्प्यूटर अपरेटर उपलब्ध नही होने का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया न तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बेलट्रोन/एन आई सी से संविदा के आधार पर पर नियुक्ति की गई। निदेश के विरूद्ध सदस्य अपीलीय प्राधिकार भोजपुर के पत्रांक शून्य दि0 3.2.10 द्वारा रू0 5767 प्रतिमाह की दर से 11 माह के लिए श्री शत्रुंजय विश्वकर्मा को नियुक्ति की गई। श्री विश्वकर्मा का योगदान दिनांक 3.12.09 को (योगदान पत्र के अनुसार) पाया गया तथा दिसम्बर 09 का वेतन रू0 6000 तथा जनवरी 10 का वेतन रू0 5767 की राशि वेतन भुगतान पंजी पर अंकित पायी गयी। उक्त भुगतान पंजी पर श्री विश्वकर्मा का पावत्ति

हस्ताक्षर भी अंकित नही पाया गया। उपरोक्त अनाधिकृत एवं अनियमित रूप से नियुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (प्राधिकृत पदा0) के स्थान पर प्राधिकार सदस्य द्वारा अनाधिकृत रूप से नियुक्ति की गई। नियुक्ति के अनुसार 3.2.10 के पश्चात् नियुक्ति की गई जबकि कम्प्यूटर अपरेटर श्री विश्वकर्मा द्वारा योगदान दिसम्बर 09 में ही दिखाया गया है। साथ ही पावति हस्ताक्षर भी अंकित नही पाया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर नियुक्ति एवं भुगतान अनधिकृत अनियमित तथा सदेंहास्पद प्रतीत होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उनकों 5767 रू0 मानदेय पर नियुक्त कर दिसम्बर माह का रू0 6000 भुगतान किया गया था। निर्गत आपत्ति द्वारा इन सारे बिन्दुओं को अंकेक्षण में स्पष्ट करने को लिखा गया था, परन्तु आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रशासी विभाग अनाधिकृत एवं आपत्ति जनक भुगतान रू0 11767 को संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका – (7) रू0 116683.00 भुगतान आपत्तिअन्तर्गत :–

आकस्मिक व्यय एवं कम्प्यूटर रख– रखाव मद में दिखाये गये व्ययों की जाँच में पाया गया कि उक्त मदों में बैंक खाता में जमा राशि से विभिन्न चेक के माध्यम से राशियों की निकासी की गई थी। परन्तु उक्त व्ययों से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा रोकड़ पुस्त, अभिश्रव, भंडार पंजी, वितरण , निर्गत, सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्यान्य अभिलेख उपलब्ध नही कराया जा सका। निकासी की गई राशियों की पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर दृष्टव्य है। ज्ञातव्य हो कि प्राधिकार के सदस्य एवं कार्यालय सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से व्यय हेतु राशियों की निकासी चेक के माध्यम से बैंक से की जाती थी, तद्नुसार व्यय किया जाता था। उक्त निकासी राशियों के व्यय के विरूद्ध उपरोक्त चर्चित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दो बार आपत्ति निर्गत कर माँग की गई परन्तु कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। यहाँ तक कि कोई भी निर्गत आपत्ति को अनुपालन कर नही लौटाया गया तथा अभिलेख उपस्थापित कराने में कार्यालय सचिव द्वारा अंकेक्षण में उदासीनता बरती गई। अंकेक्षण में अभिलेख उपलब्ध नही कराने के फलस्वरूप राशियों की निकासी कर व्यय की जाँच नही की जा सकी।

अतः संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा निकासी राशियों के विरूद्ध व्यय की वास्तविक स्थिति की जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तत्काल राशि रू0 116683 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

भाग–3 (सुझावात्मक)

कंडिका (8) रू0 902666 का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :–

वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक ड्राफ्ट एवं आवंटन द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त एवं भुगतान हेतु विभिन्न चेकों के माध्यम से राशियों की निकासी कर भुगतानोंपरान्त प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग की गई थी, ताकि व्यय राशि रू0 902666 को सुनिश्चित एवं सत्यापित की जा सके। जिसे अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 340,341,342 (2) में यह प्रावधान है कि राशि स्वीकृति पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग, एवं महालेखाकार को आवश्यक रूप से एक वर्ष के अन्दर प्रेषित कर देना है। जिसका पालन कार्यालय द्वारा नही किया गया। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत की गई जिसका अनुपालन नही किया गया।

अतः प्रशासी विभाग संबंधित कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग कर उसकी जाँच कर तत्पश्चात प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को महालेखाकार को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया जाता है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''घ'' संलग्न।

कंडिका (9) विचलन राशि रू0 10000.00 को नियमित करने के सम्बन्ध में :–

कम्प्यूटर अपरेटर मद के रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.8.09 को चेक सं0 0118712 के द्वारा रू0 5000 एवं दिनांक 6.10.09 चेक सं0 0118716 द्वारा रू0 5000 कुल रू0 10000 का कम्प्यूटर अपरेटर मद से विचलन कर आकस्मिक व्यय के रूप में खर्च किया गया था। विचलन किस परिस्थिति में किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से किया गया अंकेक्षण को स्पष्ट नही हो सका। राशि विचलन कर व्यय करना बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 8 एवं 489 के विपरीत है।

अतः प्रशासी विभाग को सुझाव दिया जाता है कि उक्त विचलन मद की राशि रू0 10000 को नियमित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा भविष्य में विचलन न हो इसकी दृढ़ता से पालन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित कार्यालय को दी जाय।

कंडिका (10) रू0 750 बैंक द्वारा स्पीड किलीयरींग चार्ज के रूप में करने के सम्बन्ध में :–

बैंक विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार भोजपुर के बैंक ऑफ इंडिया आरा के चालू खाता सं0– 460421110000003 में ड्राफ्ट राशि रू0 449000 के स्पीड किलीयरींग चार्ज के रूप में दिनांक 9.2.09 को रू0 300 चेक बुक निर्गत करने हेतु दि0 11.2.09 को रू0 300 एवं दि0 5.12.09 को ड्राफ्अ राशि रू0 649000 के किलीयरींग चार्ज के रूप में 150 रू0 कुल रू0 750 बैंक द्वारा कटौति की गई थी।

अतः सुझाव दिया जाता है कि बैंक द्वारा काटी गयी राशि का रू0 750 का अभिश्रव प्राप्त कर नियमित किया जाय।

कंडिका (11) सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण नही तथा सक्षम पदाधिकारी हस्ताक्षर नही होने के सम्बन्ध में :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 86– II के अनुसार सभी मौद्रिक लेन देन जैसे ही किए जाए। रोकड़ पंजी के संबंधित पक्ष में (आय– व्यय पक्ष में) कर दिये जाए और जाँच के साक्ष्य में निकासी व्ययन पदाधिकारी /कार्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये जाए। बिहार कोषागार संहिता भाग– I के नियम 86– IV के अनुसार रोकड़ पंजी के जाँच एवं संवरण रोकड़ का सत्यापन मासिक हो तथा इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाय। परन्तु कार्यालय द्वारा उक्त नियमों का पालन नही किया गया। कार्यालय द्वारा मदवार रोकड़ पुस्त संधारित था तथा उस पर कार्यालय प्रधान (सदस्य) का हस्ताक्षर नही पाया गया सिर्फ कार्यालय सचिव का हस्ताक्षर था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि सामान्य रोकड़ पुस्त को संधारित कराया जाय तथा सभी रोकड़ पुस्त पर कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर कराया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) मंजु कुमारी, वरीय अंकेक्षक– 2

(2)

<u>परिशिष्ट ''क''</u>

<u>कंडिका 1 'ट' से सम्बन्धित</u>

<u>प्रस्तुत अभिलेख वर्ष 2008–09 से 2010–11</u>

1. सामान्य रोकड़ पुस्त – 2 6.2.09 से 7.7.09 तक
2. सदस्य वेतन रोकड़ पुस्त
3. सदस्य भत्ता रोकड़ पुस्त
4. कार्यालय भाड़ा रोकड़ पुस्त
5. कम्प्यूटर अपरेटर रोकड़ पुस्त
6. कम्पयूटर रख रखाव रोकड़ पुस्त
7. सदस्य का वेतन एवं भत्ता भुगतान पंजी
8. मकान भाड़ा भुगतान पंजी
9. कमप्यूटर अपरेटर भुगतान पंजी
10. आवंटन पत्र
11. चालू खाता चेक बुक
12. संचिकाए
13. बैंक विवरणी

<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–</u>

1. आकस्मिकता मद रोकड़ पुस्त
2. कार्यालय सामग्री रोकड़ पुस्त
3. अभिश्रव
4. भंडार पंजी
5. वितरण पंजी
6. सक्षम पदाधिकारी का आदेश
7. सामान्य रोकड़ पुस्त

<u>परिशिष्ट "ख"</u>

कंडिका –3 से सम्बन्धित

आय व्यय विवरणी वर्ष 2008–09 (अनुदान)

शीर्ष एवं ईकाई आय मद में	आय	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
2202 सदस्य का वेतन	180000	—	—	180000	संचुक्त सचिव मानव संसाधन विकास विभाग पटना के पत्रांक – 07/नि0– 1.12/08–4240 दिनांक 23.12.08 द्वारा विभिन्न मदों में ड्राफ्अ सं0 251606 दिनांक 7.1.09 द्वारा प्राप्त जिसे बैंक आफ इन्डिया आरा शाखा में चालू खाता सं0 460421110000003 में दिनांक 6. 2.09 को जमा किया गया।
2202 सदस्य का वाहन एवं आय भत्ता	100000	38500	—	61500	
2202 कम्प्यूटर अपरेटर का मानदेय	84000	—	—	84000	
2202 कार्यालय भाड़ा	60000	—	—	60000	
2202 आकस्मिकता मद	25000	14844	—	10156	

परिशिष्ट "ख"

आय– व्यय विवरणी वर्ष 2009–10

शीर्ष एवं ईकाई (आय मद में)	प्रारभ्भण शेष	आय	कुल आय	व्यय	विचलन द्वारा व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
2202 सदस्य वेतन	180000	240000	420000	277772	—	—	142228	ड्राफ्अ संख्या 343234 दिनांक 4.12.04 द्वारा रू0 694000 बैंक में जमा।
2202 सदस्य भत्ता	61500	120000	181500	120000	—	—	61500	
2202 कम्प्यूटर अपरेटर मानदेय	84000	84000	168000	11767	10000	—	146233	विचलन (आकस्मिकता मद में) दि0 14.8.09 5000+6.10.09 — 5000 =10000
2202 कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव मद	—	60000	60000	36170	—	—	23830	
2202 कार्यालय भाड़ा	60000	120000	180000	45000	—	—	135000	
2202 आकस्मिकता मद	10156	50000	60156	43849	—	—	16307	
2202 कार्यालय सामग्री	—	20000	20000	—	—	—	20000	

वर्ष 2010—11

शीर्ष एवं	प्रारभ्भण	आय	कुल आय	व्यय	विचलन	अधिक	बचत	अभ्युक्ति

ईकाई (आय मद में)	शेष				द्वारा व्यय	व्यय		
2202 सदस्य वेतन	142228	184696	326924	130861	—	—	196063	निदेशक प्रा0 शि0 के पत्रांक – 117 दिनांक 24.9.10 एवं पत्रांक 233 दिनांक 3.2.11 द्वारा वेतनादि मद में 230000 का आवंटन जिला शिक्षा अधीक्षक को प्राप्त जिसमें कुल व्यय राशि य0 224696 एवं 5304 रू0 उनके पत्रांक 240 दिनांक 31. 3.11 द्वारा प्रत्यार्पित।
2202 सदस्य भत्ता	61500	40000	101500	55000	—	—	46500	
2202 कम्प्यूटर अपरेटर मानदेय	146233	—	146233	51903	—	—	94330	
2202 कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव मद	23830	—	135000	65000	—	—	70000	
2202 कार्यालय भाड़ा	135000	—	23830	—	—	—	23830	
2202 आकस्मिकता मद	16307	—	16307	12000	—	—	4307	
2202 कार्यालय सामग्री	20000	—	20000	—	—	—	20000	

<u>परिशिष्ट – “ग”</u>

कंडिका – 7 से संबंधित

चेक निर्गत तिथि	चेक सं0	मद	चेक राशि
13.2.09	0118701	आकस्मिकता	2000.00
25.2.09	702	''	10844.00
3.3.09	703	''	2000.00
7.4.09	705	''	6000.00
22.4.09	707	''	1684.00
2.6.09	711	''	2000.00
14.8.09	712	''	5000.00(विचलन कम्पयूटर आपरेटर मद)
6.10.09	716	''	5000.00
9.12.09	718	''	3000.00
17.12.09	719	''	36170.00
23.12.09	721	''	2000.00
8.1.10	722	''	23985.00
16.2.10	728	''	2000.00
10.3.10	729	''	3000.00
28.4.10	736	''	2000.00
16.7.10	740	''	1000.00
2.8.10	743	''	1000.00
5.8.10	744	''	500.00
1.9.10	745	''	500.00
3.11.10	749	''	2000.00
2.11.10	751	''	1000.00
2.12.10	754	''	500.00
10.1.11	755	''	500.00
4.2.11	759	''	500.00
24.2.11	761	''	2000.00
5.3.11	762	''	500.00

कुल योग– 116683.00

परिशिष्ट "घ"

कंडिका 8 से संबंधित

दिनांक	चेक संख्या	व्यय का विवरण	चेक राशि
13.2.09	0118701	आकस्मिकता	2000.00
25.2.09	0118702	आकस्मिकता	10844.00
3.3.09	703	आकस्मिकता	2000.00
3.3.09	704	भत्ता (सदस्य)	38500.00
7.4.09	706	वेतन (सदस्य)	35000.00
7.4.09	705	आकस्मिकता	6000.00
22.4.09	707	आकस्मिकता	1864.00
2.6.09	708	भत्ता (सदस्य)	30000.00
2.6.09	709	वेतन (सदस्य)	21000.00
2.6.09	710	मकान किराया	10000.00
2.6.09	711	आकस्मिकता	2000.00
8.9.09	713	मकान किराया	15000.00
8.9.09	714	भत्ता (सदस्य)	30000.00
22.9.09	715	वेतन (सदस्य)	79292.00
28.10.09	717	बकाया वेतन (सदस्य)	44500.00
9.12.09	718	आकस्मिकता	3000.00
17.12.09	719	कम्प्यूटर खरीद	36170.00
17.12.09	720	बकाया वेतन (सदस्य)	45260.00
23.12.09	721	आकस्मिकता	2000.00
8.1.10	0118722	आकस्मिकता	23985.00
12.1.10	723	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	6000.00
12.1.10	724	भत्ता (सदस्य)	40000.00
29.1.10	725	मकान किराया	20000.00
1.2.10	726	वेतन (सदस्य)	52720.00
3.2.10	727	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.0
16.2.10	728	आकस्मिकता	2000.00
10.3.10	729	आकस्मिकता	3000.00
17.3.10	730	भत्ता (सदस्य)	20000.00
9.4.10	731	वेतन (सदस्य)	114501.00
9.4.10	732	भत्ता (सदस्य)	35000.00
9.4.10	733	वेतन (सदस्य)	16360.00
9.4.10	734	भत्ता (सदस्य)	10000.00
28.4.10	735	मकान किराया	15000.00
28.4.10	736	आकस्मिकता	2000.00
3.5.10	737	भत्ता (सदस्य)	10000.00

6.7.10	739	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
16.7.10	740	आकस्मिकता	1000.00
28.7.10	741	मकान किराया	15000.00
2.8.10	742	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
2.8.10	0118743	आकस्मिकता	1000.00
5.8.10	744	आकस्मिकता	500.00
1.9.10	745	आकस्मिकता	500.00
1.9.10	746	मकान किराया	10000.00
1.9.10	747	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
6.10.10	748	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
—	749	आकस्मिकता	2000.00
2.11.10	750	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
2.11.10	751	आकस्मिकता	1000.00
29.11.10	752	मकान किराया	15000.00
2.12.10	753	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
2.12.10	754	आकस्मिकता	500.00
10.1.11	755	आकस्मिकता	500.00
10.1.11	757	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
3.2.11	758	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
4.2.11	759	आकस्मिकता	500.00
21.2.11	760	मकान किराया	10000.00
24.2.11	761	आकस्मिकता	2000.00
5.3.11	762	आकस्मिकता	500.00
5.3.11	763	कम्प्यूटर अपरेटर वेतन	5767.00
		कुल योग—	902666.00